29/01/21 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के उपस्थित होकर, लिखित जवाब पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी ने बहस में बताया कि मेरे खातेदारी भूमी ख.न. 1657, 1664 ग्राम मालोर में प्रतिवादीगण जबरन नहीं प्रवेश करे व मौका की यथास्थिति बनाये रखते हुए, T.I. कन्फर्म करें। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने बहस में बताया कि, प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत मालोर में कनिष्ठ सहायक के पद पर है एवं प्रतिवादी संख्या 02, मालोर सरपंच [illegible] का सदस्य है। ग्राम [illegible] महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य चल रहा है, ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत है।

सहायक कलक्टर
[illegible] (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.18 09:51:23 IST
Reason: SelfAttested

ली.......

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

बहस में यह भी बताया कि
वादी ने न्यायालय से 188 के
तहत स्थगन लेकर, उसकी आड़
में रास्ते के निर्माण कार्य को
रुकवा दिया है। हम रास्ता पर
ही ग्रेवल सड़क बना ~~रहे~~ रहे
है। रास्ता पूर्व राजस्व रिकार्ड
में भी दर्ज है। अतः रास्ते पर
निर्माण कार्य रुकने से नरेगा
श्रमिक बेरोजगार हो रहे है।
संपूर्ण पंचायत को भारी नुकसान
हो रहा है अतः T.I. हटाने
का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन
किया, मनन किया हम इस
निष्कर्ष पर पहुंचते है कि
दिनांक 20.10.20 को [illegible]
1657, 1664 ग्राम मातौर में अस्थाई
निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त किया
जाता है। प्रार्थना पत्र धारा 212
546

Signature No
Digitally signed b
Rajawat
Date: 2021.02.18
Reason: SelfAtte

सहायक कलेक्टर
...वर (अलवर)

राज॰ काश्तकारी अधिनियम, खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रा॰ फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

29.1.21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज॰

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.18 09:51:23 IST
Reason: SelfAttested